बीवाड़ शहर (जोधपुर)

8/8/24 पत्रावली पेश। श्री वकील प्रार्थी तथा

अप्रार्थी वकील प्रार्थी सुनी गई। अप्रार्थी

पर मनन किया। दस्तावेज का अवलोकन

करने पर पाया कि प्रकरण सारहीन होने

से खारिज किया जाता है। पत्रावली दैनिक

सुनवाई होकर नम्बर से कम होने एवं अन्य

वाद के साथ नत्थी हो।

उपखण्ड अधिकारी
बीवाड़ शहर (जोधपुर)